



प्राविधिक शिक्षा निदेशालय  
उत्तर प्रदेश

विकास नगर कानपुर-208002  
Visit us: <http://upted.gov.in/directorate>

Phone No: 011-250084  
Fax No: 011-250084  
E-mail: [upted@upted.gov.in](mailto:upted@upted.gov.in)  
[director@upted.gov.in](mailto:director@upted.gov.in)

प्रेषक,

निदेशक,  
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय  
उत्तर प्रदेश कानपुर।

सेवा में,

श्री पवन कुमार शुक्ल  
पुत्र श्री लालमणि शुक्ल,  
फ्लैट नं०-13, टाइट-3, एन०एस०यू०टी०  
सेक्टर-3, द्वारका नई दिल्ली, साउथ वेस्ट  
दिल्ली-110078

पत्रांक: 3377/3 /ई-स्वा-नियु०कर्म०अनु०(बेल्डिंग)-2013-14; कानपुर : दिनांक- 06/10/2022  
विषय: मा० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा प्राप्त संस्तुति के आधार पर प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा  
सेक्टर), उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन समूह "ग" के रिक्त कर्मशाला अनुदेशक बेल्डिंग पर चयनोपरत  
कार्यभार ग्रहण कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत करना है कि मा० उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र नं०-74(II)/  
08/वै०आर०/एस-12/2013-14 दिनांक-20.07.2022 के द्वारा प्राप्त संस्तुति के आधार पर आपको प्राविधिक  
शिक्षा विभाग(डिप्लोमा सेक्टर) के नियंत्रणाधीन राजकीय पालीटेक्निक संस्थान में रिक्त कर्मशाला अनुदेशक बेल्डिंग  
के पद पर तैनाती प्रदान की जानी है।

उक्त के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया में पूर्व में प्रचलित व्यवस्था के  
क्रम में शासनदेश सं०-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक-29.04.2021 के द्वारा यह प्रावधान किया  
गया है कि अभ्यर्थी से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वघोषणा पत्र प्राप्त कर औपबन्धिक नियुक्ति पत्र निर्गत  
किया जाए तथा अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित सत्यापन के विवरणों के साथ इन आशय का स्वघोषणा पत्र भी प्रस्तुत किया  
जायेगा कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

उपरोक्त वर्णित स्थिति के क्रम में आपको उपरोक्त शासनदेश की प्रति के साथ निर्धारित प्रारूप संलग्न कर  
इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि उसमें वांछित विवरण तथा स्वघोषणा पत्र को भरे जाने के पश्चात  
यथाशीघ्र इस कार्यालय को मूल रूप में उपलब्ध करा दें। उक्त के अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों से विभिन्न राजकीय  
पालीटेक्निक संस्थानों में रिक्त कर्मशाला अनुदेशक बेल्डिंग के पद पर प्रथम नियुक्ति/तैनाती हेतु जनपद का  
विकल्प यूआइए पोर्टल (<http://urise.up.gov.in>) के माध्यम से भी प्राप्त किया जाना है।

अतएव प्रदेश में संचालित राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार अपनी प्रथम  
तैनाती/नियुक्ति के संबंध में यूआइए पोर्टल (<http://urise.up.gov.in>) पर उपलब्ध विकल्पों में से किसी 03  
जनपदों का विकल्प का चयन करते हुए अपनी ई-मेल आई०डी० एवं दूरभाष नं० भी तत्काल पोर्टल पर ही उपलब्ध  
करा दें, ताकि संस्था की आवश्यकता, उपलब्ध स्टाफ इत्यादि स्थितियों के अनुसार तैनाती के संबंध में निर्णय लिया  
जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(दिनेश मोहन सिंह)  
निदेशक

संख्या/04/2021/ 1/4/2011-का-4-2021

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक (अभिसूचना), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ, दिनांक: 29 अप्रैल 2021

विषय: विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/चरित्र का उनकी प्रथम नियुक्ति के पहले सत्यापन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विभिन्न परीक्षाओं/ चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन कराये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-4694/II-बी-321-1947 दिनांक 28/04/1958, संख्या- 8/22-1975-कार्मिक-2 दिनांक 20/05/1978, संख्या- 5/9/1982-का-2 दिनांक 25/05/1985 एवं संख्या- 1/4/2011- का-4-2013 दिनांक 21/10/2013 में निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासन के संज्ञात में लाया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया में पूर्व में प्रचलित व्यवस्था के कारण प्रायः दो से छः मास का समय लगता है । परिणाम स्वरूप पद को भरने के लिये एवं नियुक्ति आदेशों के निर्गमन में आवेचित विलंब होता है अतएव उक्त शासनादेशों के अनुक्रम में तिम्नवत व्यवस्था भी की जाती है:-

(1) राज्य सरकार की किसी भी सेवा के लिये चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन पूर्ववत् ही किया जायेगा, किन्तु नियुक्ति पत्र निर्गमन के प्रकरण को इस प्रकार के सत्यापन के लिए तंबित रखने की आवश्यकता नहीं है। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा पत्र प्राप्त कर औपबन्धिक नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं । तदनुसार सत्यापन एवं स्वःघोषणा पत्र संबंधी प्रपत्र अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं ।

(2) औपबंधिक नियुक्ति पत्र में, यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जायेगा कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) धरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही छह मास की समयवधि में की जानी चाहिए। एक बार सत्यापन की सूचना प्राप्त होने और अभ्यर्थी द्वारा दिये गये तथ्यों पर कोई आपत्ति नहीं होने पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र की पुष्टि कर दी जायेगी।

(4) यदि छः मास के भीतर सत्यापन की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तब नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:

(एक) वह पुलिस महानिदेशक को प्रकरण संदर्भित करते हुये तीन मास में सत्यापन रिपोर्ट प्रदान करने के लिये कहेगा।

(दो) यदि इसके पश्चात भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तब गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन के संबंधित प्राधिकारियों से सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति के लिये वह अनुरोध करेगा, जिससे औपबंधिक नियुक्ति पत्र पर पुष्टि का निर्णय लिया जा सके।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी/व्ययनित को सूचनायी का समुचित अवसर प्रदान करेगा। सुनवाई करने के उपरांत यदि तथ्य सही नहीं पाये जाते हैं, तब तत्काल नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय सेवा के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा और नियुक्ति प्राधिकारी यथानुसार भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरंभ करेगा।

(6) किसी प्रकरण में, जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी का विचार हो की अभ्यर्थी की नियुक्ति संवेदनशील पद पर होगी या सुरक्षा के दृष्टिगत जिसमें विस्तृत पूर्व सत्यापन विशेष रूप से आवश्यक है, वहाँ नियुक्ति केवल इस प्रकार के सत्यापन के पश्चात ही की जायेगी, तथापि ऐसे प्रकरणों में प्रशासकीय विभाग पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते हुये कार्मिक विभाग से विमुक्ति/एट के लिये अनुरोध करते हुये प्रस्ताव प्रेषित करेगा, कार्मिक विभाग के स्तर से प्रस्ताव के समर्थन कारणों को परीक्षण कर माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन एट देने की कार्यवाही संपादित की जायेगी।

3. कृपया उपरोक्त निर्देशों का समस्त स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

सततगके अनुसूचक-1 व 2

भवदीय,

राजेंद्र कुमार तिवारी,  
मुख्य सचिव

संख्या-04/2021/1/4/2011(1)-का-4-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालय/अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
4. सचिव-अन्य भर्ती बोर्ड/ आयोग उत्तर प्रदेश ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
6. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज से,

मुकुंद शिव  
अपर मुख्य सचिव

सत्यापन प्रपत्र (अनुसूची-1)

1. पासपोर्ट आकार का नवीनतम हस्ताक्षरित चित्र पिपकार्य (5 सेमी गुणा 7 सेमी)

2.

चेतावनी

सत्यापन प्रपत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत करना या किसी भी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनर्हता होगी और सरकार में अधीन नियोजन के लिए अभ्यर्थी अपात्र हो जायेगा । इस प्रपत्र को पूर्ण करने एवं जमा करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी नजरबंद, गिरफ्तार, अभियोजित, तईपार कृत अर्थदण्ड से दण्डित दोषकृत, विवर्जित या अपराध मुक्त आदि किया जाता है तो उन विवरणों को तत्काल उक्त प्राधिकारियों के पास तत्काल भेजा जाता चाहिए जिनके पास पूर्व में सत्यापन प्रपत्र भेजा गया था, इसमें विफल होने पर तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना माना जायेगा ।

3. यदि किसी व्यक्ति की सेवा अवधि के मध्य किसी समय सत्यापन प्रपत्र में किसी तथ्यात्मक जानकारी का छिपाया जाना या बुद्धिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है तो उसकी सेवाएं समाप्त किये जाने योग्य होगी ।

1. पूर्ण नाम (बड़े अक्षरों)	उपनाम	नाम
पवन कुमार शुक्ल	शुक्ल	पवन कुमार
2. (क) पूर्ण वर्तमान पता (उदाहरण- शान, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, वीथी/ गली/ सड़क एवं कच्चा) :	पवन कुमार शुक्ल प्लॉट नं-13, एडए-3, गेहाली सुभाष पौड़ी गिकी गिर लविहोलाय, सी-3, डारका, बड़ दिहली, थाना- डारका, जिला-दक्षिण-पश्चिम दिहली-38	





<p>3. (क) घर का पूर्ण पता (उदाहरणार्थ गांव, थाना एवं जनपद, या मकान संख्या, वीथी/माली / सड़क एवं नगर/नगर जनपद मुख्यालय का नाम (ख) यदि मूल रूप से पाकिस्तान / बांग्लादेश (शुद्धपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का निवासी है तो उस देश में पता और भारतीय संघ में प्रवास की तिथि</p>	<p>पवन कुमार शुक्ल पुत्र श्री लक्ष्मण शुक्ल,        पीएच- नगलासी, पोस्ट- कुमौली, जिला- मिर्जापुर,        थाना- जिंगला, राज्य- उत्तर प्रदेश, पिन- 231313</p>	<p>N.A.</p>
--	---	-------------

4. विगत पांच वर्षों की अवधि में उन स्थानों का विवरण दिया जाय (जहां आप एक वर्ष से अधिक से अवधि तक रहे हों (निवास की अवधि के साथ विदेश निवास (पाकिस्तान सहित) की स्थिति में उन समस्त स्थानों का विवरण, जहां आप 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों।

दिनांक	स्थान का पता (उदाहरणार्थ मकान संख्या, गांव, वीथी/सड़क नाम थाना नगर जनपद)	जनपद मुख्यालय का नाम या पूर्ववर्ती स्तर में वर्णित स्थान का वर्णन
--------	--	---

01-04-2002 पवन कुमार शुक्ल, फ्लैट नं-13, एच.डी.सी. मार्ग- इलाहाबाद, जिला- उत्तर प्रदेश, पश्चिम दिशि नई दिल्ली

5. नाम (पूर्ण रूप में एवं उपनाम यदि कोई हो)	राष्ट्रीयता (जन्म से अधिवास से)	जन्म स्थान	व्यवसाय यदि नियोजित है तो पदनाम एवं कार्यलय का पता	वर्तमान डाक का पता (यदि मूल ही नो अस्तित्व पता)	घर का स्थायी पता
का. पिता	श्री लक्ष्मण शुक्ल भारतीय	मिर्जापुर	कृषक	गांव- नगलासी पोस्ट- कुमौली जिला- मिर्जापुर	गांव- नगलासी पोस्ट- कुमौली जिला- मिर्जापुर, पिन- 231313
ख. माता	श्रीमती कुमारी शुक्ल भारतीय	मिर्जापुर	गृहणी	Do	Do
ग. पत्नी/पति	पवन कुमार शुक्ल भारतीय	मिर्जापुर	गृहणी	फ्लैट नं-13, एच.डी.सी. मार्ग- इलाहाबाद, जिला- उत्तर प्रदेश, पश्चिम दिशि नई दिल्ली	Do
घ. धर्मपत्नी	श्रीमती कुमारी शुक्ल भारतीय	मिर्जापुर	गृहणी	Do	Do
ड. भांगनी	श्रीमती प्रतीक्षा भारतीय	मिर्जापुर	गृहणी	Do	Do
कुमारी मधु	भारतीय	मिर्जापुर	गृहणी	Do	Do
रेखा	भारतीय	मिर्जापुर	गृहणी	Do	Do
शशाङ्गी	भारतीय	मिर्जापुर	गृहणी	Do	Do



तिथि से	तिथि से
09.04.1998 01.04.2002	01.04.1999 01.04.2002
(ख)	यदि पूर्व का नियोजन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण का उपक्रम/ स्वायत्तशासी निकाय/ विश्वविद्यालय/ स्थानीय निकाय के अधीन था। क्या आपने केन्द्रीय नागरिक सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम-5 या तत्समान समान नियमावली के अधीन एक मास की सूचना देकर सेवा छोड़ी थी, क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी, या क्या आपको सेवा समाप्ति की सूचना दिये जाने या आपकी सेवा वास्तविक रूप से समाप्त हो जाने के समय पर या बाद की तिथियाँ में किसी प्रकारण में आपको अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था? नहीं
12 (एक)	(क) क्या आप कभी गिरफ्तार हुये हैं
	(ख) क्या आप कभी अभियोजित हुये हैं
	(ग) क्या आप कभी नजरबंद हुये हैं
	(घ) क्या आप कभी तटोपार हुये हैं
	(ङ) क्या आपको कभी न्यायालय ने अर्थदण्ड दिया है
	(च) क्या आपको किसी कार्य के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं
	(छ) क्या आपको कभी किसी लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपनी किसी परीक्षा/चयन के लिए विवर्जित / अयोग्य घोषित किया गया है
	(ज) सत्यापन प्रपत्र भरने के समय आपके विरुद्ध कोई वाद किसी न्यायालय में ललित तो नहीं है
	(झ) इस सत्यापन प्रपत्र को भरने के समय आपके विरुद्ध किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक प्राधिकरण/ संस्था में कोई वाद ललित तो नहीं है
	(ञ) क्या सरकार या अन्यथा के अधीन किसी प्रशिक्षण/ संस्थान से आपकी कार्यसुक्ति/निष्कासन वापसी तो नहीं हुयी है
(दो)	इस सत्यापन प्रपत्र को भरते समय यदि उपरोक्त वर्णित प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर 'हां' है तो <u>वाद/ गिरफ्तारी/ नजरबंदी/ अर्थदण्ड/ दोषसिद्धि/ दण्डादेश/ दण्ड आदि और/ या न्यायालय/ विश्वविद्यालय/ शैक्षिक प्राधिकरण आदि में ललित वाद की प्रकृति का पूर्ण विवरण दे. N.A.</u>
टिप्पणी (एक)	कृपया इस सत्यापन प्रपत्र के शीर्ष पर अंकित 'चेतावनी' भी देखें।
(दो)	यथा प्रकरणानुसार प्रत्येक प्रश्न के विशिष्ट उत्तर 'हां' या 'नहीं' के रूप दिये जाने सकते हैं।
13.	आपके क्षेत्र में दो उत्तरदायी व्यक्तियों या 1) डा. मिश्राल जिन्दल, फ्लैट नं-36, राइड-3, नेशनल सूबाघ (पैरागो) विश्वविद्यालय, लेवेल-3, इलाहाबाद, पिनकोड-201002

अनुमोदकों के नाम 2) श्री राजेंद्र प्रसाद, फ्लैट नं.-10, एड-2, नेताजी सुभाष  
 जिनसे आप परिचित हैं। औद्योगिकी विद्यापीठ, डारका-3, झारखंड-813007।

मेरे प्रमाणित भवता है कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्वलिखित सूचना सत्य एवं पूर्ण है। सरकार के आदेश नियोजन के लिये मुझे अनहं काने वाली किन्हीं परिस्थितियों को मुझे जानकारी नहीं है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर *Shubho*  
 दिनांक: 11/10/2022  
 स्थान: डारका, नई दिल्ली

**अभिज्ञान प्रमाण पत्र**  
 (प्रमाणपत्र निम्नलिखित में से किन्हीं एक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)

- (एक) केन्द्र या राज्य सरकार का राज्यपत्रित अधिकारी
- (दो) निर्वाचन क्षेत्र जहाँ अभ्यर्थी या उसके परिवार/अभिभावक सामान्य रूप से निवास करते हों के सांसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य
- (तीन) उप जिला मजिस्ट्रेट/अधिकारी
- (चार) मजिस्ट्रेट/विकल्प शक्ति के प्रमाण हेतु प्राधिकृत तहसीलदार या नायब उप तहसीलदार
- (पांच) अभ्यर्थी ने जिस मान्यता प्राप्त विद्यालय/तकनीकी विद्यालय/संस्था से अंतिम शिक्षा प्राप्त की है के प्राचार्य/प्रधानाचार्य
- (छह) खण्ड विकास अधिकारी
- (सात) डाकघर
- (आठ) पंचायत निरीक्षक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती सुशीला कुमारी पवन कुमार मुखर्जी पुत्री  
 श्री लाक्ष्मण शर्मा को मेरे निवास 20/08/04 गाम से जानता हूँ एवं मेरी सर्वोत्तम  
 जानकारी और विश्वास के अनुसार उनसे द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है।

दिनांक: 20.10.2022  
 स्थान: डारका, नई दिल्ली  
 हस्ताक्षर: *D. K. Singh*  
 पदनाम या प्राप्ति: Dr. D. K. SINGH  
 एवं पता: Professor & Head

**काफीसय द्वारा भरा जायेगा।**

Department of Mechanical Engineering  
 Netaji Subhas University of Technology  
 (Formerly Netaji Subhas Institute of Technology)  
 Sector-3, Durgam, New Delhi-110018.

एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता



दो) पद जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी का चयन किया गया है;



**सत्यापन प्रपत्र (अनुसूतक-2)**

1. पासपोर्ट आकार का सर्वोत्तम हस्ताक्षरित चित्र चिपकावे (5 सेमी गुण 7 सेमी)

	<p><u>चेतावनी:</u></p> <p>2 सत्यापन प्रपत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत करना या किसी भी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनर्हता होगी और सरकार के अधीन नियोजन के लिए अभ्यर्थी अपात्र हो जायेगा। इस प्रपत्र को पूर्ण करने एवं जमा करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी नजरबंद, गिरफ्तार, अभियोजित तड़ीपार कृत अथदण्ड से दण्डित दोषकृत, विचरित या अपराध मुक्त आदि किया जाता है तो उन विवरणों को तत्काल उन प्राधिकारियों के पास तत्काल भेजा जाना चाहिए जिसके पास पूर्व में सत्यापन प्रपत्र भेजा गया था। इसमें विफल होने पर तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना माना जायेगा।</p> <p>3 यदि किसी व्यक्ति की सेवा अवधि के मध्य किसी समय सत्यापन प्रपत्र में किसी तथ्यात्मक जानकारी का छिपाया जाना या वृद्धिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है तो उसकी सेवाये समाप्त किये जाने योग्य होगी।</p>				
<p>1. पूर्ण नाम (बड़े अक्षरों में)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>उपनाम</th> <th>नाम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>शुक्ल</td> <td>पवन कुमार</td> </tr> </tbody> </table>	उपनाम	नाम	शुक्ल	पवन कुमार
उपनाम	नाम				
शुक्ल	पवन कुमार				
<p>2. (क) पूर्ण वर्तमान पता (उदाहरण- गाम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या)</p>	<p>पवन कुमार शुक्ल, फ्लॉर नं-13, राइड-3, नेताजी सुभाष पेंसिना, पिरवविहालय, सेक्टर-3, इरला, नई दिल्ली, थाना- इरला, जिला- दक्षिण- पश्चिम दिल्ली, पिन-110078</p>				

2.	पूर्ण वर्तमान पता (उदाहरण-ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, वीथी/माली/सड़क एवं नगर)	पूर्व पं. कुमार शुक्ला, फ्लैट नं०-12, एडप-2, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ-2, टाउन, नए दिल्ली, थाना-ट्राक्टर, जिला-दिल्ली-पश्चिम दिल्ली, पिन-110030	
3.	भारत का पूर्ण पता (उदाहरण- ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, वीथी/ माली/ सड़क एवं नगर तथा जनपद मुख्यालय का नाम)	पं. कुमार शुक्ला पुत्र श्री बालराम शुक्ल, ग्राम- भगवासी, पोस्ट- दुगौली, जिला- मिर्जापुर, थाना- जिमाना, राज्य- उत्तर प्रदेश, पिन- 231313	
4.	आधार कार्ड संख्या :	666410264661	
5.	पैन संख्या :	BKPPS3160K	
6.	राष्ट्रीयता :	भारतीय	
7. (क)	जन्म तिथि :	05.06.1979	
(ख)	वर्तमान आयु :	43 वर्ष 04 माह	
(ग)	10-वीं कक्षा में आयु क्या थी :	15 वर्ष	
8. (क)	जन्म स्थान, जनपद एवं राज्य जहाँ यह संबंधित है :	भगवासी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	
(ख)	जनपद एवं राज्य जिससे आप संबंधित है :	मिर्जापुर, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश	
(ग)	जनपद एवं राज्य जिससे आपका पिता मूल रूप से संबंधित थे :	मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	
9. (क)	आपका धर्म	हिन्दू	
(ख)	क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं? (हां या नहीं में उत्तर दीजिए)	नहीं	
10.	उन स्थानों का विवरण (निवास की अवधि के साथ) जहाँ आपने विगत पाँच वर्षों की समयावधि में एक वर्ष से अधिक समय तक निवास किया है। विदेश निवास के प्रकरण में (पाकिस्तान समेत), उन समस्त स्थानों का विवरण दिया जाना चाहिए, जहाँ आपने 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात एक वर्ष से अधिक समय तक निवास किया है।		
दिनांक से	दिनांक तक	निवास का पूर्ण पता (उदाहरणार्थ- ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, वीथी/ सड़क एवं नगर)	जनपद मुख्यालय का नाम या पूर्ववर्ती स्तर में वर्णित स्थान का नाम

छा. 04, 2002	शुभरी तक	पवन कुमार मुकुल, फ्लैट नं-13, रावण-3, मैदानी, नरुपम रोड/मिडी मिडलविहाड़ा, जेठर-5, बुधका, नई दिल्ली, जमाना-प्राका, जिला-दिल्ली, कडैयम दिल्ली, पिन-110078	नई दिल्ली
--------------	----------	---	-----------

11.	नाम (पूर्ण रूप में एवं उपनाम यदि कोई हो)	राष्ट्रीयता (जन्म में एवं अधिवास से)	जन्म स्थान	व्यवसाय, यदि नियोजित है तो पदनाम एवं कार्यालय के पते का विवरण	वर्तमान काम का पता (यदि मृत्यु हो चुकी है तो अंतिम निवास का पता)	घर का स्थायी पता
(क) पिता	श्री लक्ष्मण मुकुल	भारतीय	मिर्जापुर	कृषक	ग्राम-नगावली, पोस्ट-दुगौली, जिला-मिर्जापुर	ग्राम-नगावली, पोस्ट-दुगौली, जिला-मिर्जापुर
(ख) माता	श्रीमती वैशाली मुकुल	भारतीय	मिर्जापुर	गृहणी	ग्राम-नगावली, पोस्ट-दुगौली, जिला-मिर्जापुर	ग्राम-नगावली, पोस्ट-दुगौली, जिला-मिर्जापुर
(ग) पत्नी	उमा मुकुल	भारतीय	प्रयागराज	गृहणी	फ्लैट नं.-13, रावण-3, एन.एन. रोड, बुधका, नई दिल्ली	ग्राम-नगावली, पोस्ट-दुगौली, जिला-मिर्जापुर

12. पुत्र (पुत्राण)/पुत्री (पुत्रियां) यदि किसी विदेशी राष्ट्र में अध्ययन/निवास कर रहे हैं तो उनके संबंध में सूचना दी जाये - **N/A**

नाम	जन्म या अधिवास से राष्ट्रीयता	जन्म स्थान	राष्ट्र जिसमें निवास/अध्ययन कर रहे हैं का पूर्ण पते के साथ विवरण	वह तिथि जिससे पूर्व स्टम्भ में वर्णित राष्ट्र में निवास/अध्ययन कर रहे हैं :

13. शैक्षिक योग्यता, 15 वर्ष की आयु के पश्चात उन शैक्षिक योग्यता, 15 वर्ष की आयु से जिन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को दर्शाते हुए जिनमें शिक्षा प्राप्त की हो :

विद्यालय / महाविद्यालय का नाम (पूर्ण पते सहित)	प्रवेश की तिथि	छोड़ने की तिथि	उत्तीर्ण की गई परीक्षा
एन.एन. रोड, नई दिल्ली, श्री श्रीनिवास रामानुज मिर्जापुर	अगस्त 1992	23.07.1994	हाईस्कूल
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मैने प्रयागराज	अगस्त 1995	26.12.1997	आई.टी.आई. (फिटर)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान असीगाँव लखनऊ	21.05.1999	28.05.1999	एन.ए.सी. (फिटर)
माता मेमोरियल एंटर कालेज कैथीका अरोही	नवम्बर 1999	13.07.2000	इंटरमीडिएट
आर्य इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक, जी.टी. कल्याण रोड, दिल्ली	अगस्त 2004	14.02.2011	डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग

14.(म) क्या आपने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अर्द्ध सरकार या मान्य सरकारी निकाय या किसी स्वायत्त निकाय या किसी सार्वजनिक उपक्रम या किसी निजी फर्म या सम्भार में किसी समय कोई पद धारित किया है या करते हैं? यदि हाँ तो नियुक्ति की तिथि के साथ पूर्ण विवरण दें : हाँ

अवधि	पदनाम, परिचयिका एवं नियोजन की प्रकृति	नियोजक का पूर्ण नाम एवं पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण
#1	01 वर्ष	किर उ/ए/ए/ए/ए, रूपे कव्वा, रथार	रक्षा अनुसंधान विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान प्रकृति के अंतर्गत नियुक्ति, पिनकोड 110002, पत्ता पर
#2	07.04.1998	06.04.1999	

14.(ख) यदि पूर्व का नियोजन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण का उपक्रम/स्वायत्त निकाय/विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के अधीन था) क्या आपने केन्द्रीय नागरिक सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम-5 या तत्समकान नियमसंगतों के अर्धीन एक मास की सूचना देकर सेवा छोड़ी थी, क्या आपको विरह्य कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी, क्या क्या आपको सेवा समाप्त की सूचना दिये जाने या आपकी सेवा वास्तविक रूप से समाप्त हो जाने के समय पर या बाद की तिथियों में किसी प्रकार से आपको अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था? नहीं

15.(एक)	क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है ?	हाँ/नहीं ✓
	क्या आपको कभी अभियोजित किया गया है ?	हाँ/नहीं ✓
	क्या आपको कभी मजबूरत किया गया है ?	हाँ/नहीं ✓
	क्या आप पर किसी न्यायालय ने अर्धदण्ड लगाया है ?	हाँ/नहीं ✓
	क्या आप किसी कार्य के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं ?	हाँ/नहीं ✓
	सन्धान प्रयत्न करने के समय आपके विरह्य कोई वाद किसी न्यायालय में लंबित तो नहीं है	हाँ/नहीं ✓
15(ब)	यदि सन्धान प्रयत्न को करते समय यदि उपरोक्त वर्णित प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर 'हाँ' है तो क्या गिरफ्तारी, मजबूरत, अर्धदण्ड, दोषी ठहराया, दण्ड देना और या न्यायालय विरुद्ध दायर या शैलिक प्राधिकरण आदि में लंबित वाद की प्रकृति का पूर्ण विवरण दें : N.A.	

#1 20 वर्ष 06 महीने मैट्रिक रु. पेजेंट रुका 93002 24800/-, ग्रेड पे. माता 4200/- (रुपय 42600/- केवल) नेल्सो-गुण्य प्रयोगिकी प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर बिहार विद्यालय, सेक्टर-2, प्रवेश में कक्षा 12 अर्थात् 12वीं (रुका), नर्सिंग 110002. बेहियन के पद पर चयन हो जाने के कारण

#2 01.04.2002 अभी तक



<p>अभ्यर्थी : कृपया इस सत्यापन पत्र के शीर्ष पर अंकित "पतावली" को भी देखें।</p> <p>यथा प्रकरणानुसार प्रत्येक प्रश्न के विशिष्ट उत्तर "हां" या "नहीं" के रूप में दिये जा सकते हैं।</p>
---

16.	आपके क्षेत्र में दो उत्तरदायी व्यक्तियों या अनुमोदकों के नाम जिनसे आप परिचित हैं।	<p>1) डा. मिश्रीका जिन्दल, फ्लैट नं.- 26, टाउन-3, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सेक्टर-3, द्वारका, नई दिल्ली, पिन-110028</p> <p>2) श्री राजेन्द्र प्रसाद, फ्लैट नं.-10, टाउन-3, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सेक्टर-3, द्वारका, नई दिल्ली, पिन-110028</p>
-----	---	--

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्वलिखित सूचना सत्य एवं पूर्ण है। सरकार के अधीन नियोजन के लिये मुझे अनुरोध करने वाली किन्हीं परिस्थितियों की मुझे जानकारी नहीं है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर: Shubho  
दिनांक: 11/10/2022  
स्थान: द्वारका, नई दिल्ली

अभिज्ञान प्रमाण पत्र  
(प्रमाणपत्र विम्बनांकित में से किन्हीं एक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)

(एक)	केंद्र या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी
(दो)	निर्वाचन क्षेत्र जहाँ अभ्यर्थी या उसके परिजन/ अभिभावक सामान्य रूप से निवास करते हैं के सांसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य
(तीन)	उप जिला मजिस्ट्रेट/ अधिकारी
(चार)	मजिस्ट्रेटियल शक्तियों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत तहसीलदार या नायब/ उप तहसीलदार
(पांच)	अभ्यर्थी ने जिस मान्यता प्राप्त विद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्था से अंतिम शिक्षा प्राप्त की है के प्राचार्य/ प्रधानाचार्य
(छह)	ग्राम विकास अधिकारी
(सात)	शकपाल
(आठ)	पंचायत निरीक्षक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती सुनील चतन कुमार शुक्ल एवं पूर्ण नाम से जानल हू एव भी सर्वाधिकार को मे विभाग 20 वर्ष 04 मास से जानल हू एव भी सर्वाधिकार जासकारी और विश्वास के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है।  
 दिनांक 28.10.2022  
 स्थान: दुवार्का, नई दिल्ली

हस्ताक्षर: *[Signature]*  
 पदनाम या पदस्थिति: 28/10/2022  
 एवं पता: Professor & Head  
 Deptt. of Mech. Engg.  
 Postgraduate School  
 Department of Mechanical Engineering  
 Netaji Subhas University of Technology  
 (Formerly Netaji Subhas Institute of Technology)  
 Sector-3, Dwarka, New Delhi-110078.

कार्यालय द्वारा भरा जायेगा

(एस) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम पदनाम एवं पूर्ण पता :

टी। पद जिसके मापक अध्येशी पर विचार किया जा रहा है

उपरोक्तानुसार विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन के संबंध में भारत सरकार में की गयी व्यवस्था सघनी भादेशों को सम्मिलित करते हुये राजकीय सेवा में नियुक्ति से पूर्व किये जाने वाले चरित्र एवं सत्यापन की नीति में प्रस्तावित सुधारों के साथ-साथ सर्वोच्च सत्यापन प्रपत्र भी प्रस्तुत है।